

FORM NO-III

फॉर्म अहकाम  
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम-रूपनगढ़, जिला-अजमेर





राजेश कुमार

बनाम

तहसीलदार रूपनगढ़

किस्म मुकदमा-212 राजस्थान कारतकारी अधिनियम

नम्बर-101 दर्ज-2024


तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम हुकम की तारीख में जारी हुए
05.08.2024	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से दकील श्री अरविन्द दाय्याच न अन्तर्गत धारा-212 रा0 का0 अधि0 के तहत पेश किया गया। दकील प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये रजिस्टर्ड नोटिस की जाकर पत्रावली दिनांक 04.09.2024 को पेश हो।	
4-9-24	अन्य कार्यो में व्यस्त पत्रावली पेश हुई। दकील पक्षकारान उप. अप्रार्थी सं. 1, 2 के P.O. साहव दार/अवकाश पर पधारे है। नोटिस तामिल- अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 25-9-24 को पेश हो।	 उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)
25-9-24	पत्रावली पेश हुई। दकील पक्षकारान उप. P.O. साहव दार/अवकाश पर पधारे है। अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 9-10-24 को पेश हो।	
9-10-24	पत्रावली पेश हुई। दकील पक्षकारान उप. P.O. साहव दार/अवकाश पर पधारे है। अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 16-10-24 को पेश हो।	
16-10-24	पत्रावली पेश हुई। दकील पक्षकारान उप. जवाब प्राप्त नहीं, इन्तजार होकर पत्रावली दिनांक 6-11-24 को पेश हो।	 उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)
6-11-24	पत्रावली पेश हुई। दकील पक्षकारान उप. जवाब प्राप्त नहीं, और इन्तजार होकर पत्रावली दिनांक 29-11-24 को पेश हो।	 उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)
29-11-24	पत्रावली पेश हुई। दकील पक्षकारान उप. जवाब प्राप्त नहीं, इन्तजार होकर पत्रावली दिनांक 29-11-24 को पेश हो।	राजेश कुमार-पार्थना पत्र को विज्ञापित करना 



जाहिर किया, अतः प्राची का प्राथमिक-पत्र जारिये

विज्ञापन ब्यारिज किया जाता है

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर  
से कम हो

  
उपखण्ड अधिकारी  
रूपनाग (अजमेर)

सिद्धार्थ ठाकुर  
(अजमेर) अजमेर

*[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]*